



संख्या-62/2024/2489/77-6-2024-6099/139/2023

प्रेषक,

पीयूष वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : 13.11.2024

विषय:- उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के कार्यान्वयन हेतु
रु. 1,89,56,29,811.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पिकप के पत्रांक-पिकप/आई.आई.ई.पी.पी.-2017/डिस्ब./820 दिनांक 09.10.2024(छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-7 के अंतर्गत 'नई औद्योगिक नीति' मद में प्राविधानित धनराशि रु0 650.00 करोड़ (रूपया छः सौ पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष पात्र औद्योगिक इकाईयों को धनराशि वितरण हेतु रु. 1,89,56,29,811.00(रु. एक अरब नवासी करोड़ छप्पन लाख उन्तीस हजार आठ सौ ग्यारह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- पिकप द्वारा उपलब्ध कराया गया लाभार्थी इकाईयों का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रुपये में)

क्र0सं0	कम्पनी	अनुमोदित अनुमन्य धनराशि	शासनादेश दिनांक 26.3.2021 के अनुपालन में देय धनराशि (अनुमन्य धनराशि का 90 प्रतिशत) *	नोडल एजेन्सी (पिकप) को देय प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि (देय धनराशि का 1.5 प्रतिशत)	इकाईयों वितरित की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	मेसर्स एसएसएमजी बेवरेजेज प्रा0लि0, बाराबंकी	19,20,97,448.00	17,28,87,703.00	25,93,316.00	17,02,94,387.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2	मेसर्स वरूण बेवरेजेज लि०, हरदोई	1,17,13,27,776.00	1,05,41,94,999.00	1,58,12,925.00	1,03,83,82,074.00
3	मेसर्स गैलेन्ट इस्पात लि०, गोरखपुर	74,28,30,122.00	66,85,47,109.00	1,00,28,207.00	65,85,18,902.00
	कुल योग	2,10,62,55,346.00	1,89,56,29,811.00	2,84,34,448.00	1,86,71,95,363.00
	कुल धनराशि (5+6)	1,89,56,29,811.00			

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-20-नई औद्योगिक नीति-42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रु० 650.00 करोड़ (रुपया छः सौ पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रु. 1,89,56,29,811.00 (रु. एक अरब नवासी करोड़ छप्पन लाख उन्तीस हजार आठ सौ ग्यारह मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्वारा श्री राज्यपाल वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें /प्रतिबन्धों

- स्वीकृत धनराशि पिकप द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थी कम्पनी एवं पिकप के खाते में सीधे एन०ई०एफ०टी०/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
- तालिका के स्तम्भ-6 में दर्शाई गई धनराशि पिकप द्वारा उपलब्ध कराये गए उक्त लाभार्थी कंपनी के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी।
- तालिका के स्तम्भ-5 में दर्शाई गई धनराशि पिकप के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।
- स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
- उक्त धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
- किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
- स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से सम्बन्धित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा पिकप को उपलब्ध कराए जायेंगे।
- उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक पिकप, द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से वित्त आय व्ययक अनुभाग-4 एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-6 तथा समस्त संबंधितों को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

11. धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 1,89,56,29,811.00 (रुपये एक अरब नवासी करोड़ छप्पन लाख उन्तीस हजार आठ सौ ग्यारह मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-007 लेखाशीर्षक 2885608002000 नई औद्योगिक नीति मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

पीयूष वर्मा

विशेष सचिव।

संख्या-62/2024/2489(1)/77-6-2024-6099/139/2023 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रबन्ध निदेशक, पिकप को उनके पत्रांक-पिकप/आई.आई.ई.पी.पी.-2017/डिस्ब./820 दिनांक 09.10.2024 के संदर्भ में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-1/4
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रामध्यान रावत

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।